भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4539

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

सोनवाल कचारी की वर्तनी बदलकर सोनोवाल कचारी करना

†4539. श्री प्रदान बरुआ:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के संविधान में 'सोनवाल कचारी' की वर्तनी को बदलकर 'सोनोवाल कचारी' करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में असम राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): असम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि II (5) में 'Sonwal' बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में 'Kachari' जनजाति की अधिसूचित उप-जनजाति है, जिसमें कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी श्वाशासित जिलें शामिल नहीं हैं। 'Sonwal' को 'Sonowal' में बदलने का प्रस्ताव असम सरकार से दिनांक 21/08/2024 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रस्ताव को उचित ठहराने वाली नृवंशविज्ञान रिपोर्ट नहीं थी।

भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, बहिष्कृत करने और संशोधन के प्रस्ताव के साथ नृवंशविज्ञान रिपोर्ट भी संलग्न होनी चाहिए। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, प्रस्ताव को 19/09/2024 को असम सरकार को वापस भेज दिया गया और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

*****